



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727,2224529 एवं फैक्स नं०- 2224529

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 11/2016

1 निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय 19-03-2016 अपराह्न 17:00 बजे तक। 3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 21.03.2016 को 15:00 बजे अपराह्न। 4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 21.03.2016 को 15:30 बजे अपराह्न। 5. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेष्यूल्ल बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा। 6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान-(क) पुलिस निगम मुख्यालय, (ख) पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना (ग) निविदा संबंधित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी। 7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (क) ₹0 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में प्राप्त की जायगी। ₹0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियन्ता, पटना का कार्यालय। (ख) ₹0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना। 8. सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी। 9. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रघन की राशि ₹0 में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹0 में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.94	11900	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
2.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.87	11800	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
3.	रोहतास जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-2, डेहरी-ऑन- सोन में अस्पताल ए0 एवं बी0 भवन का मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	8.97	18000	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
4.	नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.01	10100	1250	1 माह	सामान्य
5.	नालंदा जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, नालंदा के आवासीय परिसर में विद्युत मरम्मत कार्य, प्रकाशीय व्यवस्था, गार्डन लाईट, बैरक एवं शौचालय में विद्युत अधिष्ठापन कार्य (पुनर्निविदा)	7.32	14700	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
6.	नवादा जिलान्तर्गत अकबरपुर थाना में 4 लोअर सबोर्डिनेट आवास (2 x 2) का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	6.34	12700	1250	1 माह	पिछड़ा जाति
7.	नवादा जिलान्तर्गत रूपौ थाना में चहारदिवारी का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	6.99	14000	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
8.	भागलपुर जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक आवास का मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	9.44	18900	1250	1 माह	सामान्य
9.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0नाथनगर में गेस्ट हाउस का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	5.80	11600	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
10.	भूषियौ जिलान्तर्गत भूषियौ ए0एस0पी0 आवास का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	9.85	19800	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
11.	कटिहार जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-7, कटिहार में बैरक सं0-12 का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	8.40	16800	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
12.	बैशाली जिलान्तर्गत महुआ अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.93	11900	1250	1 माह	पिछड़ा वर्ग की महिला
13.	दरभंगा जिलान्तर्गत विरौल अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.97	12000	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
14.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य(पुनर्निविदा)	5.98	12000	1250	1 माह	पिछड़ा जाति / वर्ग

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी।
 11. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा कार्यपालक अभियन्ता, पटना/भागलपुर/भूषियौ/दरभंगा/मुजफ्फरपुर, कैम्प हाजीपुर एवं मगध, कैम्प-डेहरी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यविधि में देखा जा सकता है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।
 12. नियमानुसार अंकित कर्मांक कोटियार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्राणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा।
 13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उच्चतम प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा ₹0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में बिषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
 14.(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी। इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं। जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं। उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा।
 14(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
 15. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।
 16. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रघन की राशि लिया जायेगा।
 17. सभी गैर-अनुसूचित मर्दों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायगी।
 18. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी।
 19. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रघन की राशि देय होगी। समुचित अग्रघन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी। अग्रघन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेष्यूल्ल बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक-19-03-2016 तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतये हो एवं अग्रघन की राशि दिनांक-21-03-2016 तक का बना हुआ ही मान्य होगा।
 नोट :-इस विज्ञापन को पुलिस भवन निर्माण निगम के नेट-एडिशन www.bpbcc.co.in पर भी देखा जा सकता है।

ह0/- मुख्य अभियन्ता,पटना।